

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक-12.04.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की सम्पन्न अष्टम बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली संख्या-01

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की सप्तम् बैठक दिनांक-27.08.2019 के कार्यवाही की संपुष्टि।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-02

बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न सप्तम् बैठक की कार्यवाही, अवलोकनार्थ।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-03

शासी निकाय की दिनांक-27.08.2020 को सम्पन्न सप्तम् बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

शासी निकाय की दिनांक-27.08.2020 की कार्यावली संख्या-04	अनुपालन
वित्त विभागीय पत्रांक-2575, दिनांक-14.05.2020 के आलोक में बिहार विकास मिशन के बैंक खाता में संचित राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान की राशि पर वित्तीय वर्ष के समाप्ति के उपरान्त अर्जित ब्याज की राशि सांविधिक अंकेक्षण के उपरान्त राजकोष में जमा किये जाने के प्रस्ताव पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है। निर्णय:- अनुमोदित।	अनुपालित। राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान की राशि पर दिनांक-31.03.2020 तक अर्जित ब्याज की राशि ₹10,04,04,646/- (दस करोड़ चार लाख चार हजार छह सौ छियालीस रुपये) मात्र चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कर दी गयी है। शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है। निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-04

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1658, दिनांक-05.02.2021 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-12534, दिनांक-17.09.2018 के माध्यम से संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा की कतिपय कंडिकाएँ बिहार विकास मिशन के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर नियोजित कर्मियों पर प्रभावी करने का आदेश निर्गत है।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-12534, दिनांक-17.09.2018 की कंडिका-‘क’, ‘ग’, ‘घ’, ‘च’, ‘ज’ एवं ‘ध’ में की गई अनुशंसाएँ सहित कंडिका-‘त’, ‘थ’ एवं ‘द’ भी लागू करने का आदेश के आलोक में निर्णय लिया जाना है। इससे संबंधित तालिका निम्नवत् है:-

समिति की अनुशंसा	वर्तमान स्थिति	प्रस्ताव
(क) संविदा कर्मों को सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा योजना अवधि, जो भी पहले हो, तक कार्य करने के संबंध में।	(A) कार्यकारी समिति की दिनांक-21.12.2020 को सम्पन्न बैठक में बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों के प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा-65 वर्ष एवं कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा-70 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव अनुमोदित है। (B) कार्यकारी समिति की दिनांक-21.12.2020 को सम्पन्न बैठक में बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मियों की सेवा अगले 02(दो) वर्ष अर्थात कुल 07(सात) वर्ष जारी रखने का प्रस्ताव अनुमोदित है।	उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा की कंडिका-‘क’ के स्थान पर कार्यकारी समिति के दिनांक-21.12.2020 के सम्पन्न बैठक में अनुमोदित निम्न प्रस्ताव :- (A) बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों के प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा-65 वर्ष एवं कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा-70 वर्ष निर्धारित की जा सकती है एवं (B) बिहार विकास मिशन में नियोजित कर्मियों की सेवा अगले 02(दो) वर्ष अर्थात कुल 07(सात) वर्ष जारी रखी जा सकती है।
(ग) अवकाश की अनुमान्यता के संबंध में।	(a) आकस्मिक अवकाश पूर्व से लागू (b) मातृत्व अवकाश पूर्व से लागू (c) 30(तीस) दिनों का अवैतनिक अवकाश पूर्व से लागू (d) बिना किसी सूचना के 05(पाँच) कार्यदिवस में अनुपस्थित रहने पर नियोजित कर्मों की संविदा स्वतः रद्द हो जाएगी। (e) पितृत्व अवकाश पूर्व से लागू नहीं (f) अर्जित अवकाश पूर्व से लागू नहीं	उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में (A) बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मियों को सेवा के दूसरे वर्ष से एक वर्ष में 16(सोलह) दिन का अर्जित अवकाश जो अधिकतम 60(साठ) दिन संचित किया जा सकता है तथा पुरुष कर्मियों को दो बच्चों तक 15(पंद्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश प्रदान करने के प्रावधान को लागू किया जा सकता है।

		(B) बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मी यदि बिना किसी सूचना के 15(पंद्रह) दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उक्त पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
(घ) सेवा अवधि में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान के संबंध में।	बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मियों सेवा अवधि में मृत्यु होने पर उनके नामांकित आश्रित को एकमुश्त रु0 4,00,000/- (चार लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है।	पूर्व से लागू
(च) संविदा कर्मियों के सेवा अभिलेख का संधारण के संबंध में।	बिहार विकास मिशन के संविदा कर्मियों के सेवा अभिलेख का पूर्व से संधारण MIS के माध्यम से किया जा रहा है।	पूर्व से लागू
(ज) संविदा कर्मियों को हटाए जाने की स्थिति में अपील का प्रावधान के संबंध में।	बिहार विकास मिशन में संविदा कर्मियों को हटाए जाने पर अपील का प्रावधान पूर्व से लागू है एवं विकास आयुक्त, बिहार -सह-अध्यक्ष, उप- मिशन, अपीलीय प्राधिकार नामित है।	पूर्व से लागू
(त) मातृत्व अवकाश के संबंध में।	बिहार विकास मिशन में नियोजित महिला कर्मियों के 160 दिनों तक कार्यरत रहने के बाद (A) 180 दिनों के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। मातृत्व अवकाश अनुमानित प्रसव तिथि से 06(छः) सप्ताह पूर्व ही अनुमान्य होती है। (B) दो से कम बच्चों की महिला कर्मी द्वारा 01(एक) साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर 180 दिनों के Adoption Leave का प्रावधान है।	उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में (A) बिहार विकास मिशन के नियोजित महिला कर्मियों को पिछले 12(बारह) महीने में 80(अस्सी) दिनों के लिए कार्य कर चुकने के बाद पहले 02(दो) बच्चे हेतु 26(छब्बीस) सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है। अनुमानित प्रसव तिथि के पहले 08(आठ) सप्ताह तक का अवकाश अनुमान्य किया जा सकता है एवं शेष

		<p>18(अठारह) सप्ताह प्रसव के बाद अवकाश अनुमान्य किया जा सकता है।</p> <p>(B) दो बच्चों के बाद मात्र 12(बारह) सप्ताह के लिए मातृत्व अवकाश, अनुमान्य किया जा सकता है, जिसमें से 06(छः) सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पहले एवं 06(छः) सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के बाद अवकाश अनुमान्य किया जा सकता है।</p> <p>(C) 03(तीन) महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली या सरोगेट माँ को भी 12(बारह) सप्ताह की छुट्टी अनुमान्य की जा सकती है।</p>
(थ) संविदा कर्मियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान के संबंध में।	कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के प्रावधान बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मियों पर पूर्व से लागू है।	पूर्व से लागू
(द) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान के संबंध में।	बिहार विकास मिशन के पात्र नियोजित कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के प्रावधानों का लाभ पूर्व से प्रदान किया जा रहा है।	पूर्व से लागू
(ध) संविदा कर्मियों के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में।	बिहार विकास मिशन के संविदा कर्मियों के 11(ग्यारह) माह के कार्यों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्राप्त कर उनके सेवा का अवधि विस्तार किए जाने का प्रावधान पूर्व से लागू है।	पूर्व से लागू

बिहार विकास मिशन के सभी नियोजित कर्मियों पर उक्त प्रस्ताव लागू करने के बिन्दु पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-05

बिहार विकास मिशन के HR Manual में कतिपय संशोधन पर दिनांक-21.12.2020 को कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की बैठक में अनुमोदन प्राप्त है। शासी निकाय के अवलोकनार्थ ।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-06

बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की दिनांक-21.12.2020 को सम्पन्न बैठक में Hostel & Residential School Management Expert के 02(दो) पद (BC/EBC Welfare Department & SC/ST Welfare Department) एवं Hostel Management Expert के 01(एक) पद (Minority Welfare Department) को Merge करते हुए Shared Pool अन्तर्गत राशि 1,48,500/- (एक लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह के मानदेय पर Hostel & Residential School Management Expert के 01(एक) पद पर नियोजन की कार्रवाई करने का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त संशोधन पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-07

बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की दिनांक-21.12.2020 को सम्पन्न बैठक में मिशन निदेशक कार्यालय हेतु Quality Assurance Monitor के स्वीकृत 03(तीन) पदों का नामकरण परिवर्तन कर उक्त 03(तीन) पदों हेतु स्वीकृत मानदेय राशि रु0 75,750/- (पचहत्तर हजार सात सौ पचास रुपये) प्रतिमाह पर Impact Assessment Officer-Agri, Impact Assessment Officer-Infra एवं Impact Assessment Officer-Social के 03(तीन) अलग-अलग पद पर नियोजन की कार्रवाई करने का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त संशोधन पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।



कार्यावली संख्या-08

विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्न पदों के उल्लेखित संख्या के अनुरूप सृजन एवं मानदेय पर दिनांक-21.12.2020 को कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।

क्र०सं०	अधियाचित विशेषज्ञों/ Consultants का पदनाम	पदों की संख्या	निर्धारित मानदेय प्रतिमाह	विभाग/ कार्यालय का नाम	संबंधित विभाग का पत्रांक एवं दिनांक जिसके माध्यम से विभाग द्वारा विशेषज्ञों/ Consultants की अधियाचना की गयी है।
1	IEC Expert	01	₹1,48,500/-	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार	पत्रांक-170/प0व0ज0प0, दिनांक-28.11.2019
2	IT Expert-Web Designing, Software Development & MIS System Development & Control*	02	₹1,38,250/-	मिशन निदेशक कार्यालय, बिहार विकास मिशन	पत्रांक-2557, दिनांक- 30.10.2019
3	Procurement & Contract Management Expert	01	₹1,38,250/-	परिवहन विभाग, बिहार, पटना	पत्रांक-136/गो0, दिनांक-24.06.2019
4	Finance Expert	01	₹1,38,250/-		
5	IT & MIS Expert*	01	₹1,38,250/-		
6	Monitoring and Evaluation Expert	01	₹1,48,500/-		
7	Project Management Consultant*	01	₹1,38,250/-	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना	पत्रांक-1172, दिनांक- 10.08.2020
8	App Developer*	01	₹60,550/-	वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना	पत्रांक-1038, दिनांक-15.06.2020
9	System & Network Support Executive*	01	₹60,550/-		
10	Data Analyst	02	₹41,350/-		
	Total	12			

उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर शासी निकाय की स्वीकृति प्रार्थित है।
निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।



कार्यावली संख्या:-09

कई विभागों के द्वारा सृजित पदों की आवश्यकता नहीं होने की सूचना प्रतिवेदित है। विभाग का नाम, विभाग से संबंधित पद एवं पत्र संख्या जिसके माध्यम से उक्त आशय की सूचना बिहार विकास मिशन को प्रेषित की गयी है, की विवरणी निम्नवत है:-

क्र० सं०	विभाग/कार्यालय का नाम	पद का नाम जिस पर नियोजन की आवश्यकता नहीं है।	पत्रांक एवं दिनांक जिसके माध्यम से विभाग/ कार्यालय को संबंधित पदों पर नियोजन की आवश्यकता नहीं है।
1	पथ निर्माण विभाग	Bridge Engineering Expert	पत्रांक-8891(S), दिनांक-30.09.19
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	Community Meal Expert	पत्रांक-4687, दिनांक-19.09.19
3	मिशन निदेशक कार्यालय, बिहार विकास मिशन	1. Data Analysis Lead 2. Data Entry Lead	पत्रांक-2171, दिनांक-17.09.19
4	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	Fisheries Expert	पत्रांक-53/स०को०, दिनांक-14.05.19
5	समाज कल्याण विभाग	1. ICDS Training Expert 2. Early Childhood Care Education (ECCE) Expert 3. ICDS Nutrition Expert	पत्रांक-4254, दिनांक-05.07.19

उपर्युक्त के आलोक में तत्काल उक्त पदों पर नियोजन स्थगित (Withhold) रखा गया है। उक्त सूचना दिनांक-21.12.2020 को कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की बैठक में अवलोकित है। शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-10

बिहार विकास मिशन के गठन नियमावली में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय, वार्षिक आम बैठक, कार्यकारी समिति की बैठक तथा प्रत्येक उप मिशन की बैठकें आयोजित किये जाने संबंधी निदेश अंकित हैं। उक्त बैठकें संबंधित समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार ही कराने की जरूरत के मद्देनजर उक्त बैठकों के संबंध में बिहार विकास मिशन के गठन नियमावली में निम्न संशोधन के प्रस्ताव पर दिनांक-21.12.2020 को सम्पन्न कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।

“बिहार विकास मिशन के शासी निकाय, वार्षिक बैठक, वार्षिक आम बैठक, कार्यकारी समिति की बैठक तथा प्रत्येक उप-मिशन की बैठक संबंधित समितियों के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित करने पर आहूत की जायेगी”। उक्त प्रस्ताव पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या:-11

मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन, कार्यालय में सम्बद्ध Management Assistant-I के 01(एक) पद एवं श्रम संसाधन विभाग हेतु कर्णांकित Labour Law Reforms Expert के 01(एक) पद की आवश्यकता उक्त कार्यालय/ विभाग को नहीं रहने के कारण उक्त पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-12

बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या-465, दिनांक-18.05.2017 द्वारा स्वीकृत महाप्रबंधक के पदों का उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों के आधार पर पदनाम/ Job Description में परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त संबंधित पदनाम परिवर्तन पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या:-13

भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-12 संसूचित ज्ञापांक-1359, दिनांक-03.02.2016 द्वारा नियोजन भवन के 7वें तल्ले पर 1072 वर्गमीटर स्थान, बिहार विकास मिशन को आवंटित किया गया। इसके साज-सज्जा एवं सौंदर्यीकरण हेतु अग्रिम ₹3,03,57,000.00 (तीन करोड़ तीन लाख सत्तावन हजार रु०) मात्र में से ₹2,89,47,496.00 (दो करोड़ नवासी लाख सैंतालीस हजार चार सौ छियानबे रुपये) मात्र भवन निर्माण निगम द्वारा व्यय करते हुए शेष राशि (सूद सहित) ₹20,39,863.00 (बीस लाख उनतालीस हजार आठ सौ तिरेसठ रु०) मात्र बिहार विकास मिशन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापस कर दिया गया।

इस क्रम में भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-45, सह-पठित ज्ञापांक-5009, दिनांक-03.06.2019 द्वारा उक्त स्थान बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (पथ निर्माण विभाग) को आवंटित कर दी गयी। उक्त कार्यालय भवन के साज-सज्जा हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को उपलब्ध कराई गयी राशि को बिहार विकास मिशन को लौटाने के बिन्दु पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक-13.01.2020 को संपन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण विभाग द्वारा आवंटित स्थान एक सरकारी विभाग/ सोसायटी/ न्यायाधिकरण से दूसरे सरकारी विभाग/ सोसायटी/ न्यायाधिकरण को आवंटित किये जाने के कारण बिहार विकास मिशन द्वारा नियोजन भवन के 7वें तल्ले के साज-सज्जा एवं सौंदर्यीकरण हेतु व्यय की गयी राशि किसी भी नये आवंटी विभाग/ सोसायटी/ न्यायाधिकरण के द्वारा वापस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार विकास मिशन को भी आवंटन सरकार के स्तर से ही प्राप्त है।



मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में समिति द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया कि बिहार विकास मिशन द्वारा उक्त निर्णय को कार्यकारी समिति एवं शासी निकाय से अनुमोदित कराने की कार्रवाई की जाय। बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-63, दिनांक-28.01.2020 के रूप में प्रस्तुत है।

कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की दिनांक-21.12.2020 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्राप्त है। इस पर शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यवाली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-14

मिशन निदेशक कार्यालय, बिहार विकास मिशन के पत्रांक-2843, दिनांक-29.11.2019 द्वारा अंकेक्षण के संबंध में अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन-सह-मुख्य सचिव, बिहार के माध्यम से वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के दो मुख्य बिन्दु निम्नांकित हैं:-

(i) बिहार विकास मिशन एक सोसाइटी के रूप में गठित संस्था है, जिसका स्वतंत्र अंकेक्षण किया जा सकता है। किन्तु यह वित्तीय समव्यवहार और उसके प्रभावों तक सीमित रखना अपेक्षित है। इसके लिए प्रवेश सम्मेलन (Entry Confrence) वांछनीय होगा।

(ii) बिहार विकास मिशन कार्यालय (उप मिशन सहित) मात्र योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्राथमिकताओं के अनुश्रवण का दायित्व निभाता है। इसलिए मिशन के मिशन निदेशक कार्यालय का अंकेक्षण करने के स्तर पर प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण) से यह अनुरोध किया जा सकता है कि वे विभागीय योजनाओं का अंकेक्षण करने हेतु विभागों से सूचना प्राप्त करें।

वित्त विभाग से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में बिहार विकास मिशन द्वारा अनुश्रवण की जा रही योजनाओं को छोड़कर मात्र सोसाइटी के वित्तीय समव्यवहारों एवं संबद्ध पक्षों का अंकेक्षण कराने हेतु महालेखाकार को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने एवं योजनाओं के अंकेक्षण के दायित्व को पैतृक विभागों पर छोड़ देने तथा इस आशय की सूचना प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण) को देने के प्रस्ताव पर दिनांक-21.12.2020 को सम्पन्न कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की बैठक में अनुमोदित है। उक्त प्रस्ताव पर शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यवाली को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-15

(क) सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों के वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश-सह-पठित ज्ञापांक-1546, दिनांक-25.09.2019 के माध्यम से चयनित अंकेक्षक/ फर्म-M.P. & Associates, 1109, Chiranjiv Tower 43, Nehru Place, New Delhi, B.O-House 7, Majha House, Near Alpana Market, Road No 2, Vivekanand Park, Patliputra, Patna-800013 द्वारा आंतरिक अंकेक्षण कराया गया। उक्त अंकेक्षण फर्म द्वारा की गयी अनुशंसाओं के अनुपालन के क्रम में सभी जिला पदाधिकारियों को बिहार विकास मिशन के पत्रांक-922, दिनांक-18.08.2020 द्वारा निदेशित किया गया है।

(ख) बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश -सह- पठित झापांक-बि०वि०मि०/अधि(CA भुगतान)-01/2017 खण्ड III- 808 दिनांक-12.08.2020 के माध्यम से चयनित CA फर्म- Sangeeta Gupta & Associates, 68, Nehru Chak, Gulzarbagh, Patna-07 द्वारा सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों के वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 का सांविधिक अंकेक्षण किया जा चुका है। उक्त फर्म द्वारा समर्पित सांविधिक अंकेक्षण प्रतिवेदन Action Taken Report (ATR) के साथ कार्यकारी समिति के माध्यम से शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।
निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-16

बिहार विकास मिशन का वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखा का सांविधिक अंकेक्षण (Statutory Audit Report) प्रतिवेदन एवं Action Taken Report दिनांक-21.12.2020 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की बैठक में अवलोकित है। शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।
निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-17

बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माह-अप्रैल' 2019 से मार्च' 2020 तक हुए आय-व्यय की विवरणी (सांविधिक अंकेक्षण उपरांत) निम्नवत् है :-

FINANCIAL SUMMARY REPORT AS PER STATUTORY AUDIT FOR THE PERIOD (01.04.2019 TO 31.03.2020) OF F.Y .2019-20							
Sl No	Fund Head	Opening Balance(01.04.2019)	Received	TOTAL	Expenditure	Return/ Surrender to different	Closing Balance (31.03.2020)
		A	B	C=(A+B)	D	E	F (C-D-E)
1	3104 -Assistant Grant for salary	95563313.00	0.00	95563313.00	51362258.00	0.00	44201055.00
2	3105-Assistant Grant for Capital creation	99869401.5	23705.00	99893106.50	1879022.64	49669079.50	48345004.36
3	3106 -Assistant Grant for Other than salary	925717116.00	299010.00	926016126.00	494852990.37	0.00	431163135.63
4	DFID (SHSB 3.5 Cr. ,BSW&S 4 Cr. & BICDSS 2.5 Cr.) Total 10 Cr.	100000000.00	0.00	100000000.00	0.00	100000000.00	0.00
5	INCIDENTAL FUND (Interest & other)	92168046.43	41638873.00	133806919.43	4292307.00	0.00	129514612.43
	GRAND TOTAL	1313317876.93	41961588.00	1355279464.93	552386578.01	149669079.50	653223807.42

बिहार विकास मिशन का वित्तीय वर्ष 2019-20 का सांविधिक अंकेक्षण प्रतिवेदन ATR के साथ कार्यकारी समिति के माध्यम से शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-18

बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माह-अप्रैल' 2020 से मार्च' 2021 तक हुए आय व्यय की विवरणी (Unaudited) निम्नवत् है :-

FINANCIAL SUMMARY REPORT (UNAUDITED) FOR THE PERIOD 01.04.2020 TO 31.03.21 FOR F.Y 2020-21							
Sl.No.	Fund Head	Opening Balance(01.04.2020)	Received	Total Fund	Expenditure	Return/ Surrender to Department	Closing Balance as on (31.03.2021)
		A	B	C= (A+B)	D	E	F=(C-D-E)
1	3104 -Assistant Grant for salary	44201055.00	38900000.00	83101055.00	48975429.00	19239408.00	14886218.00
2	3105-Assistant Grant for Capital creation	48345004.36	1600000.00	49945004.36	387084.00	48144487.36	1413433.00
3	3106 -Assistant Grant for Other than salary	431163135.63	406000000.00	837163135.63	580137447.75	107088787.31	149936900.57
4	INCIDENTAL FUND (Interest & Others)	129514612.43	14145264.00	143659876.43	47302.00	100404646.00	43207928.43
	GRAND TOTAL	653223807.42	460645264.00	1113869071.42	629547262.75	274877328.67	209444480.00
Expenditure and Balances as per Accrual Basis and unadjusted of DRCC Allotment							

वित्तीय वर्ष 2020-21 का आय-व्यय से संबंधित सांविधिक अंकेक्षण के उपरांत ATR के साथ कार्यकारी समिति के माध्यम से शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवशेष राशि, वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने के उपरांत प्रशासी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार) को पूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया जा चुका है। शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-19

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार विकास मिशन हेतु कुल- ₹72,34,00,000/- (बहत्तर करोड़ चौतीस लाख रुपये) मात्र का बजट प्राक्कलन पत्रांक-34 (ले०), दिनांक-18.11.2020 के माध्यम से प्रेषित किया गया। उक्त बजट प्राक्कलन का शीर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्राक्कलित राशि
01	3104-सहायक अनुदान वेतन	₹ 5,96,00,000.00 (पाँच करोड़ छियानवे लाख रुपये) मात्र
02	3105-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण	₹10,00,000.00 (दस लाख रुपये) मात्र
03	3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे	₹ 66,28,00,000.00 (छियासठ करोड़ अठईस लाख रुपये) मात्र
04	कुल-	₹ 72,34,00,000.00 (बहत्तर करोड़ चौतीस लाख रुपये) मात्र

शासी निकाय का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:- कार्यावली संख्या-20 में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कार्यावली संख्या-20

राज्य सरकार द्वारा बिहार विकास मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कुल ₹ 71,00,00,000/- (एकहत्तर करोड़ रुपये) मात्र का बजट उपबंध किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्राक्कलित राशि
01	3104-सहायक अनुदान वेतन	₹ 5,96,00,000.00 (पाँच करोड़ छियानवे लाख रुपये) मात्र
02	3105-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण	₹ 10,00,000.00 (दस लाख रुपये) मात्र
03	3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे	₹ 64,94,00,000.00 (चौंसठ करोड़ चौरानवें लाख रुपये) मात्र
04	कुल-	₹ 71,00,00,000.00 (एकहत्तर करोड़ रुपये) मात्र

शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- कार्यावली संख्या-19 एवं कार्यावली संख्या-20 पर एक साथ विचार किया गया एवं तत्काल राज्य सरकार द्वारा किए गए बजट उपबंध को अनुमोदित किया गया। निदेश प्राप्त हुआ कि भविष्य में यदि और राशि की आवश्यकता बिहार विकास मिशन को होगी तो प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर राशि हेतु अधियाचना की जाय।

अनुपालन-बिहार विकास मिशन।

कार्यावली संख्या-21

बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति की दिनांक-21.12.2020 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार विकास मिशन हेतु PL Account खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-22

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के कार्यालय आदेश-सह-पटित ज्ञापांक-792, दिनांक-12.09.2019 के आलोक में प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार कार्यालय के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण कार्य किया गया। उक्त अंकेक्षण दल द्वारा बिहार विकास मिशन के गठन से माह-मई 2020 तक की अवधि का लेखा परीक्षण किया गया। शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-23

बिहार विकास मिशन द्वारा आयोजित शासी निकाय के सप्तम बैठक की कार्यावली संख्या-08 में सूचित कराया गया था कि Phase-V के नियुक्ति प्रक्रिया की समाप्ति के क्रम में कुल 04 (चार) पद क्रमशः (i) District Sectoral Coordinator - Agriculture (ii) District Sectoral Coordinator - Infrastructure + Agriculture (iii) District Sectoral Coordinator - Social एवं (iv) District Sectoral Coordinator - Infrastructure की कुल 21 रिक्तियों के विरुद्ध Hiring Agency के द्वारा एकराखामा की शर्त के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये Second Opportunity के तहत Additional Shortlist of Candidates के आधार पर साक्षात्कार की तिथि मार्च, 2020 में निर्धारित की गयी थी जिसे वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था।

एजेंसी द्वारा साक्षात्कार हेतु उपलब्ध कराये गये Shortlist of Candidates के आलोक में पदवार अभ्यर्थी की उपलब्धता/ साक्षात्कार/ नियुक्ति की स्थिति निम्नवत है:-

Position Name	No. of Vacancy for recruitment	No. of Candidates Available		Remarks
		Pre-Covid	Current	
District Sectoral Coordinator - Agriculture	3	12	8	• Interview held on 26-03-2021 and result published on 01-04-2021. 02 selections made against 03 vacancies.
District Sectoral Coordinator - Infrastructure + Agriculture	2	8	7	• Candidate availability status updated by agency on 6-Apr-21. Interviews scheduling under process.
District Sectoral Coordinator - Infrastructure	4	4	4	• Candidates unavailable in 1:3 ratio as updated by Agency
District Sectoral Coordinator - Social	12	29	28	• Interviews scheduled for 9 candidates on 09-Apr-21. • For balance 19 candidates, dates have been requested from Chairperson of the interview panel - Principal Secretary, Mines and Geology Department and Executive Director, State Health Society.

शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।



कार्यावली संख्या-24

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के सप्तम बैठक की कार्यावली संख्या-09 के माध्यम से Phase VI के 46 एकल पदों को विज्ञापित करने की सूचना देते हुए अवलोकित कराया गया था। 46 एकल पदों में से 03 एकल पद को छोड़कर शेष 43 पदों को पूर्व के 05 चरणों में प्रकाशित किया गया था परन्तु विभिन्न कारणों यथा त्यागपत्र / साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं होना / चयन के बावजूद अभ्यर्थी के द्वारा योगदान नहीं करना / एजेंसी के द्वारा पद विशेष के विरुद्ध निर्धारित अनुपात में योग्य अभ्यर्थी की उपलब्धता नहीं कराना इत्यादि के कारण पद रिक्त थे।

Phase VI में विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की अद्यतन स्थिति निम्नवत है:-

Phase / Advertisement Date	Total Unique Positions	Total Vacancies	Positions for which candidates not made available by Agency in 1:3	Positions for which candidates made available	No. of Positions for which Interviews were Processed	No. of Interviews scheduled / held	Remarks
Phase - VI (All positions in the phase are single vacancy positions)	46	46	15	31	25	23	Status of balance 8 positions i) Interviews to be scheduled - 4 positions - PR Expert Digital Media, Banking Expert, Audit AC DC Bill UCs Expert and Finance Code Reforms Expert. ii) Positions under process - 2 positions - Computer Cell Head and IT & MIS Specialist iii) Positions not required by department - 2 positions - Management Assistant - I and Labour Law Reforms Expert

शासी निकाय का अवलोकन प्रार्थित है।

निर्णय:- निदेशित किया गया कि बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में पुनः इस कार्यावली को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यावली संख्या-25

कृषि रोड मैप 2017-22 की समीक्षा एवं अगले कृषि रोड मैप के सूत्रण से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया गया।

समीक्षा के दौरान कृषि रोड मैप से जुड़े विभागों की योजनाओं में कृषि रोड मैप के तहत निर्धारित लक्ष्य तथा उसके विरुद्ध की गयी प्रगति से सम्बन्धित विवरण विभागों द्वारा दिया गया जिसके आधार पर निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक निदेश दिए गए :-

(1) कृषि विभाग

- कृषि रोड मैप से संबंधित सभी संबंधित विभागों को निदेश दिया गया कि कृषि रोड मैप 2017-22 के तहत निर्धारित लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध उपलब्धि की विस्तार से जानकारी दी जाए। शासी निकाय को यह भी बताया जाये कि लक्ष्य प्राप्ति में क्या कमियाँ हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं तथा एक साल के अंदर निर्धारित लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा।

- सचिव, कृषि विभाग द्वारा प्रथम कृषि रोड मैप 2008-12 की तुलना में 2017-22 की स्थिति से अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि गेहूँ, चावल, मक्का, सब्जी तथा फल के उत्पादन तथा उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, लेकिन दलहन तथा तिलहन के उत्पादन तथा उत्पादकता में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। दलहन तथा तिलहन में कम प्रगति के संबंध में बताया गया कि दलहन तथा तिलहन के बीज की कमी है, बीज का दाम भी अधिक है, जिसके कारण किसान उसके उत्पादन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। विभागीय सचिव द्वारा बताया गया कि दलहन की फसल के आच्छादन का एक बड़ा भू-भाग टाल क्षेत्र हुआ करता था लेकिन वर्तमान में सिंचाई की सुविधा बढ़ जाने के कारण टाल क्षेत्र के किसानों के द्वारा गेहूँ और अन्य फसलों को उपजाने में रुचि ली जाने लगी है जिसके कारण इसके उत्पादन में कमी आयी है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में पूर्व की बैठकों में विशेष चर्चा हुई है तथा आवश्यक निदेश भी दिए गए हैं। पूर्व के बैठकों की कार्यवाहियों का गहन अध्ययन कर उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय। बिहार विकास मिशन के स्तर से भी इसका विशेष अनुश्रवण किया जाय।
- बीज विस्थापन दर के संबंध में बताया गया कि कृषि रोड मैप की अवधि में धान, गेहूँ, मक्का में निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। बीज वितरण कार्यक्रम अंतर्गत किसानों को आधार बीज दिया जा रहा है तथा इस कार्य में लगातार प्रगति हो रही है। साथ ही बताया गया कि दलहन एवं तिलहन के प्रमाणित बीज की कमी एवं बीमारी ज्यादा होने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है। दलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति आरंभ हो रही है, जिससे इसके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
- कृषि यांत्रिकीकरण के संबंध में बताया गया कि इस मामले में हम देश में छठे स्थान पर हैं तथा यांत्रिकीकरण में हमारा औसत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत विगत दो सालों में चयनित उत्पादकों को लगभग 1.5 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है। साथ ही 1850 करोड़ रुपये का अनुदान किसानों को देते हुए 28 लाख कृषि संयंत्र का वितरण किया गया है। इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर का वितरण बंद कर दिया गया है। पॉवर टिलर एवं जीरो टिलेज का वितरण किया जा रहा है। यांत्रिकीकरण से सम्बंधित कस्टम हायरिंग केन्द्र, 125 जीविका समूहों को दिया गया है, जिससे विगत वर्ष 54 लाख रुपये की कमाई हुई है। इसे और प्रोत्साहित करने का निदेश दिया गया।
- फसल अवशेष प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है तथा जागरूकता हेतु भी अनेक कार्य किए गए हैं। इसमें और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। जैविक खेती के अवयवों में सुधार की आवश्यकता है।
- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि तृतीय कृषि रोड मैप में बागवानी मिशन के तहत लक्ष्यों को घटाया गया है। कृषि विभाग यह समीक्षा कर देखे कि किन परिस्थितियों में लक्ष्य घटाने का निर्णय लिया गया। बिहार विकास मिशन को भी निदेश दिया गया कि मिशन के स्तर से भी इस मामले को देखा जाए।
- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कृषि रोड मैप के पूर्व 7 कृषि विश्वविद्यालय थे जो अब बढ़कर 16 हो गए हैं। इसके अंतर्गत 3 अन्य विषयों एग्री बायोटेक, एग्री बिजनेस एवं फूड टेक्नोलॉजी से सम्बंधित कॉलेज खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है।



- विमर्श के क्रम में माननीय उप-मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी द्वारा बताया गया कि पश्चिम चम्पारण के बाल्मिकीनगर में बायोगैस से ट्रैक्टर चलाकर खेती किया जा रहा है, जिसमें काफी कम लागत आ रही है, उसे प्रचारित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- कृषि इनपुट अनुदान एवं डीजल अनुदान के संबंध में बताया गया कि अब तक 1324 करोड़ राशि का वितरण इस मद में किया गया है। इस साल डीजल अनुदान की माँग किसानों द्वारा नहीं किया गया है जिसका कारण राज्य के सभी क्षेत्रों के बिजली की समुचित उपलब्धता का होना है। जिन लोगों का कृषि इनपुट अनुदान अब तक नहीं दिया जा सका है उनका 15 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जायेगा। इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
- जलवायु अनुकूल कृषि के संबंध में बताया गया कि किसानों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में इसका प्रत्यक्ष बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल कृषि से आशातीत सफलता अर्जित हुई है। धान और गेहूँ की औसत उत्पादकता 62.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जबकि नालंदा और नवादा में किसानों द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि अपनाकर 111.40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हासिल किया गया है जो औसत उत्पादकता से 100 गुणा ज्यादा है। गेहूँ के क्षेत्र में भी early sowing के द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि मौसम के जल्दी गर्म हो जाने के कारण उत्पादकता घट जाती है। यूरिया के प्रयोग को भी कम कर मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बनाये रखने का प्रयास किया जा रहा है। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में किसान जलवायु आधारित कृषि का प्रयोग कर रहे हैं। इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
- कृषि निवेश प्रोत्साहन के तहत सरप्लस उत्पाद को व्यवहार में लाने की कार्यनीति बनायी गयी है। इसका मॉडल DPR तैयार किया गया है ताकि जो भी किसान निवेशक चाहे तो सीधे मॉडल DPR को फॉलो कर सकता है। इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
- डिजिटल कृषि के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग की सभी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। SMS के द्वारा कृषि से संबंधित जानकारी दी जा रही है अब तक लगभग 22 करोड़ लोगों को SMS किया गया है। पौधों के रोगों से बचाव की जानकारी भी इसके द्वारा दी जा रही है। अलग-अलग डाटा को converge करके फसल क्षति का आकलन किया जायेगा। डिजिटल फार्मर्स सर्विसेज के तहत रियल टाइम बेसिस पर सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस कार्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की भी मदद ली जायेगी। इस साल के अंत तक इसे लागू किया जायेगा। इस कार्य हेतु बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा वित्तीय मदद दिया जा रहा है।
- कृषि बाजार व्यवस्था सुधार के संदर्भ में सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि 2006 में APMC एक्ट को विघटित करने के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिससे किसानों को मंडी से मुक्ति मिल गयी है। अब किसान सीधे बाजार से जुड़ गए हैं, इससे किसानों को फायदा हो रहा है। बताया गया कि 2005-06 की तुलना में 2019-20 में कृषि निर्यात 3 करोड़ से बढ़कर दो हजार करोड़ रुपया हो गया है। उनके द्वारा बताया गया कि e-NAM से राज्य के 10 बाजार समितियों को प्रथम चरण में जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है, जिससे कारोबार में और वृद्धि होने की संभावना है। इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।



- माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा बताया गया कि सभी प्रखंडों में मृदा जाँच की व्यवस्था नहीं है जिससे किसानों को परेशानी होती है। निदेशित किया गया कि इसे सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।
- डिजिटल कृषि के तहत डिजिटल डैश बोर्ड के माध्यम से विभाग की योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण की जानकारी दी गयी। सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि जुलाई, 2021 तक बिहान ऐप के माध्यम से सभी जिलों को जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि कोई भी किसान इस ऐप के माध्यम से अपनी फसल संबंधी या अन्य समस्या से सीधे विभाग को भी अवगत करा सकता है तथा मुख्यालय स्तर पर इसका अनुश्रवण किया जाएगा तथा किसानों की समस्या का निदान भी किया जा सकेगा। निदेशित किया गया कि इसे सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।
- माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि मधुबनी के राजनगर के अंधराठाढ़ी में कृषि भवन का उद्घाटन किया गया था, लेकिन उसमें जो यंत्र लगे थे, वे कर्मियों के अभाव में सभी खराब हो गए हैं, किसान उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। निदेशित किया गया कि इसकी जाँच करवा लें।
- माननीय मंत्री, गन्ना विकास द्वारा बताया गया कि गन्ना के साथ दलहन की खेती हेतु अच्छे बीज विकसित किए जाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा बताया गया कि गन्ना विकास विभाग में कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि कृषि विभाग के कर्मचारी गन्ना विकास के काम में भी अपेक्षित सहयोग करें। सचिव, कृषि विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि गन्ना विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की जाएगी।

(2) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में मछली का उत्पादन कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है। प्रस्तुतीकरण में द्वितीय रोड मैप में मछली उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य अंकित नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि इसे प्रस्तुतीकरण में रखा जाए। अंडा, मांस एवं मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी लक्ष्य से काफी कम है। इसको बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय करने की जरूरत है। तृतीय कृषि रोड मैप की बची हुई अवधि में इन लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा किया जायेगा, इसकी भी जानकारी अगली बैठक में उपलब्ध करायी जाए।
- हैचरी निर्माण के संबंध में विभागीय सचिव द्वारा बताया गया कि किसान जमीन लीज पर देने में इच्छुक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि इस संबंध में सिवान में अच्छा कार्य हुआ है। वहां किसानों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुझाव दिया गया कि सिवान जिला का मॉडल लागू किये जाने से किसानों को फायदा होगा।
- बिहार के परिप्रेक्ष्य में जलवायु के अनुकूल गाय की प्रजाति की उपयुक्तता पर नीति बनायी गयी है, परन्तु इस पर काम नहीं हुआ है। यह जरूरी है कि इस बिन्दु को भविष्य के लिए ध्यान में रखा जाय। गोशाला विकास को भी और बढ़ाये जाने का निदेश दिया गया।
- पशुपालन प्रक्षेत्र के अंतर्गत लेयर पोल्ट्री फार्म तथा ब्रायलर पोल्ट्री फार्म एवं गव्य विकास की योजना की कम प्रगति के संबंध में विभागीय सचिव द्वारा बताया गया कि इस कार्य में बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। निदेश दिया गया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इस समस्या का निदान कराया जाए।

- जीविका समूहों के माध्यम से मुर्गी वितरण का कार्य किया जा रहा है। राशि के अभाव में इस कार्य में विलंब हुआ है। प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि राशि प्राप्त हो गयी है तथा छः माह में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। निदेश दिया गया कि ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन विभाग एक समन्वय बैठक कर मामले का निष्पादन कर लें।
- राज्य में दुग्ध समितियों की संख्या और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही महिला दुग्ध समितियों की संख्या भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। महिला दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाने हेतु सहकारिता विभाग के नियम में संशोधन करने पर सहमति बनी थी, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। निदेश दिया गया कि इसे सुनिश्चित कराया जाय।
- पशुपालन प्रक्षेत्र के अंतर्गत टीकाकरण के संदर्भ में बताया गया कि भारत सरकार से FMD (Foot and Mouth Disease) का निःशुल्क टीका मिलना है, जिस हेतु प्रयास किया जा रहा है। इससे टीकाकरण की गति में काफी वृद्धि होगी।
- कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में बताया गया कि इसमें प्रशिक्षित कर्मियों/ कार्यकर्ताओं की कमी है, इसलिए दिक्कत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चिंता व्यक्त की गई कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की गाय की आवश्यकता होगी इस पर पॉलिसी बनायी गयी है, लेकिन इस पर अपेक्षित काम नहीं हुआ है। विभाग के स्तर पर इसका अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि इसमें निजी संस्थानों का भी सहयोग लिया जा रहा है। माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बताया गया कि कृत्रिम गर्भाधान का हिस्ट्री चार्ट बनाया जाय ताकि यह पता चल सके कि प्रथम गर्भाधान कब हुआ था, दूसरा कब होगा, अगर पहले या दूसरे गर्भाधान में कोई दिक्कत आयी हो तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए ताकि उन गायों के बारे में सही जानकारी मिल सके तथा तदनुसार उन्हें सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। निदेश दिया गया कि इस हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।
- मोबाईल एम्बुलेट्री वैन के संबंध में बताया गया कि अब तक 9 मोबाईल एम्बुलेट्री वैन का क्रय किया जा चुका है एवं 20 प्रक्रियाधीन है। पूर्व निर्धारित BS-4 मानक की जगह BS-6 मानक आने के कारण क्रय में विलम्ब हो रहा है।
- विभाग द्वारा बताया गया कि कौशल विकास अंतर्गत अब तक 1311 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। कोरोना के कारण इस कार्य में प्रगति काफी कम हो पायी है। इसे और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- गव्य विकास की योजना की समीक्षा में पाया गया कि इस कार्य में बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। निदेशित किया गया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इसे रखें तथा निदान हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।
- मत्स्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण का कार्य किया गया है। 12 हजार से ज्यादा लोगों द्वारा देश-विदेश में प्रशिक्षण लिया गया है जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। निदेशित किया गया कि मत्स्य हैचरी निर्माण को और बढ़ावा दिया जाय ताकि अधिक से अधिक बीज की प्राप्ति हो सके।

(3) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- विभाग द्वारा बताया गया कि द्वितीय कृषि रोड मैप में राज्य के कुल क्षेत्रफल का 15% हरित आच्छादन किये जाने का लक्ष्य था। FSI (Forest Survey of India) के द्वारा



बिहार के लिए वर्ष 2016-17 में सर्वेक्षित आकड़ों के अनुसार 12.06% कुल वन क्षेत्र प्रतिवेदित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2012-17 के मद 23.95 करोड़ पौधों द्वारा वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके अंतर्गत सरकारी भूमि, विभागीय भूमि तथा कृषि वानिकी के रूप में किसानों के रैयती भूमि पर 18.47 करोड़ वृक्षारोपण किया गया। तृतीय कृषि रोड मैप 2017-22 के मद 15.10 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 8.52 करोड़ वृक्षारोपण किया गया है।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत द्वितीय कृषि रोड मैप के दौरान हरियाली मिशन के तहत लगाये गये कुल वृक्षों की संख्या से संबंधित आंकड़ा इस बैठक के प्रस्तुतीकरण में नहीं रखा गया है। निदेश दिया गया कि भविष्य में होने वाली बैठक में इसे रखा जाय।

(4) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत जानकारी दी गयी कि राज्य में लगभग 2,000 जन वितरण प्रणाली की दुकानें बंद होने वाली हैं। विभाग ऐसे सभी दुकानों की संख्या के बारे में जिलावार सूची उपलब्ध कराये ताकि जिन जिलों में ज्यादा दुकाने समाप्त हो रही हैं उसकी जानकारी प्राप्त हो सके।
- उष्णा चावल मिल को भी प्रमोट किया जा रहा है तथा पैक्सों द्वारा स्थापित छोटे-छोटे अरवा चावल मिल को सहकारिता विभाग द्वारा उष्णा चावल मिल में कन्वर्ट करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। अगले साल से जन वितरण प्रणाली की दुकानों से 100% उष्णा चावल का ही वितरण किया जायेगा।
- दाल में चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति भी की जायेगी। वर्तमान में अभी गोदाम क्षमता 13 लाख टन की है। अगले कृषि रोड मैप में इसे 30 लाख टन तक किये जाने का प्रस्ताव है।

(5) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत राज्य में सर्वे कराने के संबंध में वर्ष 2012 में निर्णय हुआ था। परंतु अभी भी सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। इस कार्य में विलम्ब होने के कारण राज्य में विधि व्यवस्था की समस्या और जमीन से संबंधित विवाद बढ़ रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इस विषय पर गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है।
- विमर्श के क्रम में माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जो पूर्व की सर्वे में सरकारी जमीन थीं, लेकिन नया सर्वे में किसी व्यक्ति के नाम पर दर्ज हो गयी है, ऐसी जमीनों की जाँच किए जाने की आवश्यकता है। निदेशित किया गया कि इस संबंध में यथोचित कार्रवाई की जाय।
- विमर्श के क्रम में माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़े हुए मंदिर एवं मठ जो रजिस्टर्ड भूमि पर हैं, उसे भी चिह्नित कर नया सर्वे में शामिल करने पर विचार किया जाए।

(6) सहकारिता विभाग:-

- सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में अभी भी गोदामों की कमी है। गोदामों की कमी को दूर करने के लिए PPP (Public Private Partnership) मोड तथा वेयर हाउस के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

- सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान में राज्य के बाहर सब्जी भेजी जा रही है तथा सब्जियों के उत्पादन तथा विपणन में प्रगति हुई है परन्तु आधारभूत संरचना की कमी के कारण समस्या आ रही है। राज्य में आधारभूत संरचनाओं को तैयार कर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हर थाली में एक बिहारी व्यंजन की सरकार की परिकल्पना को साकार रूप देने हेतु विभाग के स्तर से और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत खरीफ 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकृत का कार्य जारी है जिसमें LPC (Land Possession Certificate) के साथ-साथ अद्यतन राजस्व रसीद की माँग की गयी है। इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
- सब्जी की तरह मधुमक्खी के कलेक्शन, मार्केटिंग तथा उसकी ब्रांडिंग की आवश्यकता है, इस पर भी कार्य किया जा रहा है। इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

(7) जल संसाधन विभाग:-

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जल संसाधन विभाग के तहत अतिरिक्त सिंचाई सृजन क्षमता में वृद्धि के लिए क्रियान्वित योजनाओं में भू-अर्जन की समस्या के कारण प्रगति धीमी है। पश्चिमी गंडक सिंचाई परियोजनाओं में भी कार्य संतोषप्रद नहीं हैं। इस विभाग की अलग से समीक्षात्मक बैठक भविष्य में आयोजित किये जाने का निदेश दिया गया।

(8) लघु जल संसाधन विभाग

- समीक्षा में पाया गया कि लक्ष्य के अनुरूप विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया।

(9) ऊर्जा विभाग

- विभाग द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु समर्पित फीडर का कार्य 21 जून तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस कार्य हेतु अब तक 1.64 लाख विद्युत संबंधन दिया जा चुका है तथा 3 लाख 75 हजार विद्युत संबंधन का लक्ष्य इस साल का अंत तक प्राप्त कर लिया जायेगा। इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।


(संजय कुमार)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक:- बि०वि०मि०-स्था०-(बैठक)-01/21 437 दिनांक-13/5/21

प्रतिलिपि:- सभी माननीय मंत्री-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ विकास आयुक्त, बिहार-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ पुलिस महानिदेशक, बिहार-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सदस्य सचिव)

ज्ञापांक:- बि०वि०मि०- स्था०-(बैठक)-01/21 437 दिनांक- 13/5/21
प्रतिलिपि :- मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- बि०वि०मि०- स्था०-(बैठक)-01/21 437 दिनांक- 13/5/21
प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक/ सभी महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- बि०वि०मि०- स्था०-(बैठक)-01/21 437 दिनांक- 13/5/21
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।